

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO: 101*
TO BE ANSWERED ON: 10.02.2022

Declining forest cover in States

101. SHRI SANJAY RAUT:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

- (a) whether the forest cover in the country, particularly in 11 states are continuously declining as per the recently released India State of Forest Report (ISFR)-2021;
- (b) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor;
- (c) whether it is a fact that many environmental experts have objected to using current method to observe forest cover in the country;
- (d) if so, the details thereof and Government response thereto; and
- (e) the details of steps taken by Government to increase tree cover up to 33 percent in the forest area?

ANSWER

MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI BHUPENDER YADAV)

- (a) to (e) The statement is laid on the table of the House.

Q.No. 96 & Q.No. 101 were taken up together.

Statement refer to in reply to part (a) to (e) of Rajya Sabha Starred Question No. 101 due for reply on 10.02.2022 regarding 'Declining forest cover in States' by Shri Sanjay Raut:

(a) & (b) Forest Survey of India (FSI), Dehradun, an organization under the Ministry carries out the assessment of forest cover of the country biennially since 1987 and the findings are published in India State of Forest Report (ISFR). The forest cover assessment is a wall-to-wall mapping exercise based on remote sensing supported by intensive ground verification and field data from National Forest Inventory. As per latest ISFR-2021 released on 13th January, 2022, there is an overall increase of 1540 square kilometre at the national level as compared to previous assessment i.e. ISFR-2019. The details of State and Union Territory wise forest cover are given at **Annexure-I**. There has been increase in forest cover in some States while there has been decrease in forest cover in some States as per ISFR 2021. The gain in Forest cover or improvement in forest canopy density may be attributed to conservation measures, afforestation activities, enhanced protection measures in plantation as well as in traditional forest areas and expansion of trees outside forest whereas, loss in forest cover may be attributed due to harvesting of short rotational plantations, shifting cultivation, biotic pressure, clearance in encroached area and developmental activities. The details of States showing decline in forest cover in comparison to previous assessment (ISFR-2019) are given at **Annexure-II**.

(c) & (d) Many environmental experts objected for using the definition of forest cover by Forest Survey of India in the country in different newspaper and media reports. As per decision 19/Conference of Parties (CP) 9-Kyoto Protocol, the forest can be defined by any country depending upon the capacities and capabilities of the country as follows:-

Forest- Forest is defined structurally on the basis of

- Crown cover percentage: Tree crown cover- 10 to 30% (India 10%)
- Minimum area of stand: area between 0.05 and 1 hectare (India 1.0 hectare) and
- Minimum height of trees: Potential to reach a minimum height at maturity in situ of 2 to 5 m (India 2m)

India's definition of forest has been taken on the basis of above three criteria only and very well accepted by United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and Food and Agriculture Organization (FAO) for their reporting/communications. The forest cover is defined as 'all land, more than one hectare in area, with a tree canopy density of more than 10 percent irrespective of ownership and legal status. Such land may not necessarily be a recorded forest area. It also includes orchards, bamboo and palm'. The definition of forest cover has clearly been defined in all the India State of Forest Report (ISFR) and in all the International communications of India. The definition of forest cover in ISFR represent true picture.

(e) As per National Forest Policy-1988, the national goal should be to have a minimum of one-third of the total land area of the country under forest or tree cover. Various schemes are being implemented by the Central and State Government/Union Territory Administration for increase in forest and tree cover in the country and to achieve the target of forest/tree cover as mentioned in the National Forest Policy-1988. These include the National Afforestation Programme (NAP) and Green India Mission (GIM) being implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Afforestation activities are also taken up under various

programmes/funding sources such as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Compensatory Afforestation Funds under Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA).

Afforestation activities are also taken up under various schemes of State Government /UT Administration. National Mission for a Green India (GIM) is one of the ongoing Missions outlined under the National Action Plan on Climate Change. It aims at protecting, restoring, and enhancing India's forest cover and responding to Climate Change through plantation activities in the forest and non-forest areas. GIM activities were started in Financial Year 2015-16. The activities under GIM are being implemented by Joint Forest Management Committees (JFMCs) at the village level.

**Annexure referred to in reply to part (b) of the Rajya Sabha Starred Question No. 101
due for answer on 10.02.2022 regarding ‘Declining forest cover in States’**

State and Union Territory wise details of forest cover as per ISFR 2021

(Area in square kilometre)

S. No.	State/UTs		Geographical Area (GA)	Total Forest Cover	Percentage of Geographical area	Change in Forest Cover w.r.t ISFR 2019
1	Andhra Pradesh		1,62,968	29,784	18.28	647
2	Arunachal Pradesh		83,743	66,431	79.33	-257
3	Assam		78,438	28,312	36.09	-15
4	Bihar		94,163	7,381	7.84	75
5	Chhattisgarh		1,35,192	55,717	41.21	106
6	Delhi		1,483	195.00	13.15	-0.44
7	Goa		3,702	2,244	60.62	7
8	Gujarat		1,96,244	14,926	7.61	69
9	Haryana		44,212	1,603	3.63	1
10	Himachal Pradesh		55,673	15,443	27.73	9
11	Jharkhand		79,716	23,721	29.76	110
12	Karnataka		1,91,791	38,730	20.19	155
13	Kerala		38,852	21,253	54.70	109
14	Madhya Pradesh		3,08,252	77,493	25.14	11
15	Maharashtra		3,07,713	50,798	16.51	20
16	Manipur		22,327	16,598	74.34	-249
17	Meghalaya		22,429	17,046	76.00	-73
18	Mizoram		21,081	17,820	84.53	-186
19	Nagaland		16,579	12,251	73.90	-235
20	Odisha		1,55,707	52,156	33.50	537
21	Punjab		50,362	1,847	3.67	-2
22	Rajasthan		3,42,239	16,655	4.87	25
23	Sikkim		7,096	3,341	47.08	-1
24	Tamil Nadu		1,30,060	26,419	20.31	55
25	Telangana		1,12,077	21,214	18.93	632
26	Tripura		10,486	7,722	73.64	-4
27	Uttar Pradesh		2,40,928	14,818	6.15	12
28	Uttarakhand		53,483	24,305	45.44	2
29	West Bengal		88,752	16,832	18.96	-70
30	A & N Islands		8,249	6,744	81.75	1
31	Chandigarh		114	22.88	20.07	0.85
32	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu		602	227.75	37.83	0.10
33	Jammu & Kashmir	Shape file Area* (54,624)	2,22,236	21,387	39.15	29
34	Ladakh	Shape file Area* (1,68,055)		2,272	1.35	18
35	Lakshadweep		30	27.10	90.33	0.00
36	Puducherry		490	53.30	10.88	0.89
Total			32.87.469	7.13.789	21.71	1,540

* Area of shape file provided by Survey of India (August, 2021). Notified geographical areas for individual UTs from SOI are awaited.

**Annexure referred to in reply to part (b) of the Rajya Sabha Starred Question No. 101
due for answer on 10.02.2022 regarding ‘Declining forest cover in States’**

Details of States showing decline in Forest cover as per ISFR 2021 in comparison to previous
assessment i.e. ISFR 2019.

(Area in square kilometre)				
Sl. No.	State/UT	Geographical Area (GA)	Total Forest Cover	Change in Forest Cover w.r.t. ISFR 2019
1.	Arunachal Pradesh	83,743	66,431	-257
2.	Manipur	22,327	16,598	-249
3.	Nagaland	16,579	12,251	-235
4.	Mizoram	21,081	17,820	-186
5.	Meghalaya	22,429	17,046	-73
6.	West Bengal	88,752	16,832	-70
7.	Assam	78,438	28,312	-15
8.	Tripura	10,486	7,722	-4
9.	Punjab	50,362	1,847	-2
10.	Sikkim	7,096	3,341	-1
11.	Delhi	1,483	195.00	-0.44

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *101
10.02.2022 को उत्तर के लिए

राज्यों में घटता वनाच्छादन

*101. श्री संजय राउत :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या हाल में जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर)-2021 के अनुसार देश में विशेषकर 11 राज्यों में वनाच्छादन लगातार घट रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या यह सच है कि कई पर्यावरणविदों ने देश में वनाच्छादन का अवलोकन करने की वर्तमान प्रणाली पर आपत्ति जताई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (ङ) सरकार द्वारा वन क्षेत्र में वृक्षाच्छादन को 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

प्र.सं. 96 और प्र.सं. 101 पर साथ-साथ चर्चा की गई

‘राज्यों में घटते वनाच्छादन’ के संबंध में दिनांक 10.02.2022 को उत्तर के लिए श्री संजय राउत द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *101 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) इस मंत्रालय का अधीनस्थ संगठन - भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून वर्ष 1987 से द्विवार्षिक आधार पर देश के वनाच्छादन का आकलन करता है और इसके निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किया जाता है। वनाच्छादन का आकलन करना एक वॉल-टू-वॉल मानचित्रण प्रक्रिया है जो गहन भौतिक सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्रीय आंकड़ों द्वारा समर्थित सुदूर संवेदन पर आधारित होती है। दिनांक 13 जनवरी, 2022 को जारी नवीनतम आईएसएफआर-2021 के अनुसार, गत आकलन अर्थात् आईएसएफआर-2019 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर कुल 1540 वर्ग किलोमीटर की समग्र वृद्धि हुई है। वनाच्छादन का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। आईएसएफआर-2021 के अनुसार, कुछ राज्यों में वनाच्छादन में वृद्धि हुई है जबकि कुछ राज्यों में वनाच्छादन में कमी हुई है। वनाच्छादन में वृद्धि या वन वितान घनत्व में सुधार के लिए संरक्षण उपायों, वनीकरण कार्यक्रमों, वृक्षारोपण के साथ-साथ पारंपरिक वन क्षेत्रों में किए गए संवर्धित संरक्षण उपायों और वनों के बाहर वृक्षों के विस्तार को श्रेय दिया जा सकता है जबकि वनाच्छादन में कमी के लिए क्रमिक रूप से अल्प आवर्ती रूप से वृक्षों की कटाई, झूम कृषि, जैविक दबाव, अतिक्रमित क्षेत्र में मंजूरी प्रदान किए जाने और विकासात्मक कार्यक्रमों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। गत आकलन (आईएसएफआर-2019) की तुलना में वनाच्छादन में कमी दर्शाने वाले राज्यों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ) अनेक पर्यावरणविदों ने देश के विभिन्न समाचार-पत्रों एवं मीडिया रिपोर्टों में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वनाच्छादन की परिभाषा के उपयोग पर आपत्ति की। निर्णय 19 / पक्षकारों के सम्मेलन (सीपी) 9 - क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार, किसी भी देश द्वारा वनों को, उस देश की क्षमताओं और सामर्थ्यों के आधार पर निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है :-

वन - वन को निम्न के आधार पर संरचनात्मक ढंग से परिभाषित किया जाता है :

- शिखर आच्छादन प्रतिशतता : वृक्ष शिखर आच्छादन - 10 से 30% (भारत में 10%)
- वन खंड का न्यूनतम क्षेत्र : 0.05 और 1 हेक्टेयर के बीच का क्षेत्र (भारत में 1.0 हेक्टेयर) और
- वृक्षों की न्यूनतम ऊंचाई : स्व-स्थाने परिपक्वता पर न्यूनतम ऊंचाई 2 से 5 मीटर तक पहुंचने की संभाव्यता (भारत में 2 मीटर)

भारत द्वारा दी गई वन की परिभाषा को केवल उपरोक्त तीन मानदंडों के आधार पर तैयार किया गया है तथा इसे जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसीसी) तथा खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा उनके संसूचन/संप्रेषणों के लिए भली-भांति स्वीकार किया गया है। वनाच्छादन को ‘स्वामित्व और विधिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना 10 प्रतिशत से अधिक के वृक्ष वितान घनत्व वाले क्षेत्र में एक हेक्टेयर से अधिक वाली समस्त भूमि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसी भूमि अनिवार्य रूप से अभिलिखित वन क्षेत्र नहीं हो सकती है। इसमें बगीचे, बांस और ताड़ भी शामिल हो सकते हैं।’ वनाच्छादन की परिभाषा का, सभी भारत वन स्थिति रिपोर्टों (आईएसएफआर) और भारत की सभी अंतरराष्ट्रीय संसूचनाओं में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। आईएसएफआर में वनाच्छादन की परिभाषा सही तस्वीर को दर्शाती है।

(ड) राष्ट्रीय वन नीति-1988 के अनुसार, देश के कुल भू-क्षेत्र के न्यूनतम एक-तिहाई हिस्से को वन या वृक्ष आच्छादन के अंतर्गत लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। देश में वन तथा वृक्ष आच्छादन में वृद्धि के लिए तथा राष्ट्रीय वन नीति-1988 में उल्लिखित वन/वृक्ष आच्छादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और हरित भारत मिशन (जीआईएम) शामिल हैं। वनीकरण कार्यकलाप, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के अधीन प्रतिपूरक वनीकरण निधि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/निधियन स्रोतों के तहत भी किए जाते हैं।

वनीकरण कार्यकलाप, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की विभिन्न स्कीमों के तहत भी किए जाते हैं। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत उल्लिखित विद्यमान मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य वन तथा वनेतर क्षेत्रों में पौधरोपण कार्यकलापों के माध्यम से भारत के वनाच्छादन की सुरक्षा, पुनर्बहाली और संवर्धन करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति कार्रवाई करना है। जीआईएम कार्यकलाप, वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुरू किए गए थे। जीआईएम के अंतर्गत कार्यकलापों को ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

‘राज्यों में घटते वनाच्छादन’ के संबंध में दिनांक 10.02.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *101 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आईएसएफआर 2021 के अनुसार वनाच्छादन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	कुल वनाच्छादन	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	आईएसएफआर 2019 के संदर्भ में वनाच्छादन में परिवर्तन
1	आंध्र प्रदेश		1,62,968	29,784	18.28	647
2	अरुणाचल प्रदेश		83,743	66,431	79.33	-257
3	असम		78,438	28,312	36.09	-15
4	बिहार		94,163	7,381	7.84	75
5	छत्तीसगढ़		1,35,192	55,717	41.21	106
6	दिल्ली		1,483	195.00	13.15	-0.44
7	गोवा		3,702	2,244	60.62	7
8	गुजरात		1,96,244	14,926	7.61	69
9	हरियाणा		44,212	1,603	3.63	1
10	हिमाचल प्रदेश		55,673	15,443	27.73	9
11	झारखंड		79,716	23,721	29.76	110
12	कर्नाटक		1,91,791	38,730	20.19	155
13	केरल		38,852	21,253	54.70	109
14	मध्य प्रदेश		3,08,252	77,493	25.14	11
15	महाराष्ट्र		3,07,713	50,798	16.51	20
16	मणिपुर		22,327	16,598	74.34	-249
17	मेघालय		22,429	17,046	76.00	-73
18	मिजोरम		21,081	17,820	84.53	-186
19	नगालैंड		16,579	12,251	73.90	-235
20	ओडिशा		1,55,707	52,156	33.50	537
21	पंजाब		50,362	1,847	3.67	-2
22	राजस्थान		3,42,239	16,655	4.87	25
23	सिक्किम		7,096	3,341	47.08	-1
24	तमिलनाडु		1,30,060	26,419	20.31	55
25	तेलंगाना		1,12,077	21,214	18.93	632
26	त्रिपुरा		10,486	7,722	73.64	-4
27	उत्तर प्रदेश		2,40,928	14,818	6.15	12
28	उत्तराखंड		53,483	24,305	45.44	2
29	पश्चिम बंगाल		88,752	16,832	18.96	-70
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		8,249	6,744	81.75	1
31	चंडीगढ़		114	22.88	20.07	0.85
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव		602	227.75	37.83	0.10
33	जम्मू एवं कश्मीर	आकार फाइल क्षेत्र * (54,624)	2,22,236	21,387	39.15	29
34	लद्दाख	आकार फाइल क्षेत्र * (1,68,055)		2,272	1.35	18
35	लक्षद्वीप		30	27.10	90.33	0.00
36	पुडुचेरी		490	53.30	10.88	0.89
कुल			32,87,469	7,13,789	21.71	1,540

* भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा आकार क्षेत्र फाइल (अगस्त, 2021) उपलब्ध कराई गई। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र का ब्यौरा प्रतीक्षित हैं।

‘राज्यों में घटते वनाच्छादन’ के संबंध में दिनांक 10.02.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *101 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गत आकलन अर्थात् आईएसएफआर 2019 की तुलना में आईएसएफआर 2021 के अनुसार घटते वनाच्छादन को दर्शाने वाले राज्यों का ब्यौरा

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र (जीए)	कुल वनाच्छादन	आईएसएफआर 2019 के संदर्भ में वनाच्छादन में परिवर्तन
1.	अरुणाचल प्रदेश	83,743	66,431	-257
2.	मणिपुर	22,327	16,598	-249
3.	नगालैंड	16,579	12,251	-235
4.	मिजोरम	21,081	17,820	-186
5.	मेघालय	22,429	17,046	-73
6.	पश्चिम बंगाल	88,752	16,832	-70
7.	असम	78,438	28,312	-15
8.	त्रिपुरा	10,486	7,722	-4
9.	पंजाब	50,362	1,847	-2
10.	सिक्किम	7,096	3,341	-1
11.	दिल्ली	1,483	195.00	-0.44

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I am quite sure that the Minister himself is aware that the figures are good but the facts are not so rosy. The fact is that, in this period, India had a loss of 1,582 square kilometres of moderately dense forests and the percentage of very dense forests, pristine natural forests, is only 3.04 per cent. With this, can he make tall claims? My question is whether the proposed Biodiversity Amendment Act is going to affect the forest cover of India.

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, जहां तक फॉरेस्ट रिपोर्ट का सवाल है, हमारे देश में overall forests में वृद्धि हुई है। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि फॉरेस्ट रिपोर्ट में हमारे जो तीन तरह के फॉरेस्ट्स हैं - VDF, moderate और open forests हैं, उनमें से moderate forests की कमी हुई है, लेकिन compensatory afforestation में forest lands का एरिया बढ़ा है। जो दूसरा विषय आपने biodiversity के लिए कहा है, माननीय उपसभापति, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जहां तक biodiversity का विषय है - हमारे दोनों ही विषय महत्वपूर्ण हैं - हमारे फॉरेस्ट्स भी important हैं और हमारे wetlands भी important हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि फॉरेस्ट हमारे फेफड़ों का काम करते हैं और wetlands हमारी किडनी का काम करते हैं। देश में लगभग 24 per cent फॉरेस्ट्स हैं और लगभग 4.5 per cent wetlands भी हैं। इसमें से जो वन थर्ड wetlands हैं, वे फॉरेस्ट के अंतर्गत हैं और बाकी फॉरेस्ट के बाहर हैं। हम दोनों के ही preservation के लिए कार्य कर रहे हैं और अभी हम लोग 'Green India Mission' पर वापस बड़े व्यापक तरीके से विचार कर रहे हैं, फॉरेस्ट की अन्य भी जो स्कीमें चलती हैं, उनके माध्यम से भी कर रहे हैं, लेकिन जहां तक biodiversity की बात है, हमारा मानना है कि फॉरेस्ट और wetlands दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और हम दोनों के लिए काम कर रहे हैं। अभी दो तारीख को ही हरियाणा के सुल्तानपुर में हमने वेटलैंड डे भी मनाया है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के जो 49 wetlands हैं, उनको Ramsar Convention में मान्यता मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम न्यूनतम 75 wetlands को Ramsar Convention का दर्जा दिलायेंगे।

श्री उपसभापति : सेकंड सप्लीमेंटरी, माननीय श्री बिनोय विस्वम जी।

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I hope that the Government will take care of the hearts and the kidneys of the society. I hope so. But, as India is not a signatory to Glasgow Declaration, my question is: Is the new mining policy of the Government, to surrender 100 per cent for the FDI and private capital, going to affect the hearts and kidneys of the Indian society?

11.00 A.M.

श्री भूपेन्द्र यादव : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत अलग है, उन्होंने सामान्य हार्ट और किडनी के संबंध में पूछा है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि हम 'योग दिवस' भी मनाते हैं, हम योग करें, हार्ट और किडनी ठीक रहेगी।

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, the Sundarbans, attached to Bay of Bengal in West Bengal, is a World Heritage site. Due to successive cyclones like Aila and Amphan, which happened recently, a vast area of mangrove is dwindling alarmingly. The Government of West Bengal has taken up certain measures so that this can be checkmated. But it needs more and more funds from the Central Government. Otherwise, it is not possible on the part of the State Government to do it singularly.

My question to the hon. Minister is: Is the Union Government aware of the situation and is the Government going to provide any help to West Bengal so that the dwindling forest-cover can be stopped?

श्री भूपेन्द्र यादव : उपसभापति महोदय, यह प्रश्न बहुत उचित है और वास्तव में सुंदरवन का जो मैन्ग्रोव वन है, वह पूरी दुनिया में अद्वितीय है। यह भारत और बंगलादेश, दोनों के हिस्सों में पड़ता है। महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस पर भारत और बंगलादेश के बीच एमओयू भी हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले मलेशिया में जो Tiger Conference हुई थी, उसमें बंगलादेश के भी मंत्री थे, हम भी थे और सुंदरवन के मैन्ग्रोव का दोनों देशों का जो एक boundary का एरिया है, उसमें भारत का जो भाग है, उसके लिए पूरी रिपोर्ट भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। जहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, भारत सरकार के द्वारा सुंदरवन के लिए किए जाने वाले कार्यों का विषय है, इसकी विस्तार से जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है, इसलिए मैं उनको निश्चित रूप से पत्र के द्वारा पूरी जानकारी के संबंध में सूचित करूँगा।

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, the forest cover in Kerala has gone up. It was 20,321 square kilometres in 2017. It has gone up to 21,253 square kilometers. The hon. Minister is aware about the fact that we need to have a reasonable and rational balancing of the nature and we should also protect the livelihood of the people. Is he aware of the fact that there is a great menace in the form of increased number of wild animals, especially, wild boars? Will the Government, will the Minister, take a reasonable stand with regard to this?

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, यह पूरा प्रश्न दोबारा पूछा गया है। मनुष्य और जीव-जन्तुओं का जो यह संघर्ष है, यह एक व्यापक समस्या है, लेकिन इसका जो बड़ा कारण है, वह हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव भी है। जहाँ तक सरकार की नीति की बात है, हम यह मानते हैं कि जंगल, विकास और मनुष्य, तीनों का साथ-साथ संतुलन होना चाहिए। माननीय सदस्य ने पुनः केरल के लिए specific wild boars के संबंध में पूछा है। मैं पुनः अपने उत्तर को दोहराना चाहता हूँ कि हमने

इसके लिए फरवरी में detailed guidelines निकाली हैं, उन गाइडलाइन्स के अंतर्गत आपके Chief Wildlife Warden को परमिशन है। केरल में उस परमिशन का 11 बार उपयोग किया जा चुका है और इसलिए अगर इसके मामले में किसी प्रश्न का निर्णय करना है, तो वह स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ Chief Wildlife Warden को करना है। Wildlife Act के सेक्शन 38 में इसका पूरी तरीके से प्रोविज़न किया गया है।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। चूँकि प्रश्न 96 एवं 101 समान है, इसलिए माननीय संजय राउत जी। Not present. माननीय सुजीत कुमार।

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, as per Government of India's State of Forest Report, the latest Report, 2021, around 3.5 lakh forest fires were reported between November, 2020 and June, 2021. So, within eight months, there are about 3.5 lakh forest fires, and these numbers are increasing over the years. So, my question to hon. Minister is, will he apprise the House the steps taken by the Ministry to reduce forest fires in the country?

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, फॉरेस्ट फायर हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके कई कारण हैं, इनमें फॉरेस्ट का cultivation होना, लोगों के द्वारा अपने मवेशियों को चराने के लिए फॉरेस्ट एरिया में जाना तथा अन्य स्थानीय कारण भी होते हैं। कई बार गर्मियों में तापमान के कारण फॉरेस्ट फायर की ज्यादा घटनाएँ होती हैं। इस बार नॉर्थ-ईस्ट एरिया में भी यह विषय संज्ञान में आया था, ओडिशा का भी विषय संज्ञान में आया था। जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है, तो डिपार्टमेंट ने इसकी monitoring के लिए नासा के माध्यम से एक सिस्टम develop किया है। अगर कहीं भी फॉरेस्ट फायर की घटना होती है, तो उसका alert आता है। हम वह alert भी स्थानीय PCCF के पास भेजते हैं। उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाती है। इसे लेकर mitigation और repression के जो दोनों उपाय हैं, वे दोनों forest department के द्वारा किए जा रहे हैं। Training और capacity building भी की जा रही है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है, अलर्ट्स भी भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही, मनुष्य के बाकी कारणों से forest में जो fire जलती है, उनके लिए भी स्थानीय स्तर पर पूरे अवेकनिंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

DR. AMEE YAJNIK: Sir, I would like to know from the hon. Minister about the exact manner in which forest cover is being calculated. The target this year is 33 per cent, but today we have 22 to 24 per cent as per the available data. Sir, from 2015 to 2020, about 11 million trees were cut and the patches were used for development purposes. But when the satellite mapping is done, it shows green patches. So, is it the exact forest cover that you are referring to, because if we have specified some targets in COP26, we should have the correct details?

श्री भूपेन्द्र यादव : सर, यह सच है कि हमारा जो satellite monitoring system है, उस satellite monitoring system में forest और tree cover, दोनों को ही देखा जाता है। इसके साथ ही, जो forest area से बाहर का tree cover है, satellite monitoring में एक हेक्टेयर या उससे कम एरिया को भी देखा जाता है, इसलिए जब रिपोर्ट भी निकाली जाती है, तब exact forest cover कितना है और tree cover कितना है, दोनों को अलग-अलग करके बताया जाता है। यह पूरी तरह से एक scientific पद्धति है। इसमें forest की पहचान लगभग 99 परसेंट ठीक रहती है और जो tree cover है, वह 95 परसेंट ठीक रहता है, इसलिए जो forest report आई है, उसमें ऊपर से satellite के माध्यम से जो green cover जाँचा जाता है, वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम इस रिपोर्ट को हर दो साल के बाद लगातार scientifically निकालते हैं, इसलिए इसे स्वीकार्य भी माना जाता है।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 97.